रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042021-226675
CG-DL-E-16042021-226675

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 2021/चैत्र 26, 1943
No. 220] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 2021/CHAITRA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 277(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारुप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड (3), उपखंड (I) में, अधिसूचना सा.का.नि. 739(अ), तारीख 26 नवंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गये थे ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 26 नवंबर, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में, जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् पश्चातद्द् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 47 के उपनियम (1) में, खंड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ड) यदि नामनिर्देशिती का उल्लेख किया जाता है, तो नामनिर्देशिती की पहचान का सबूत ।"।

3. उक्त नियम के नियम 55 के उपनियम (2) में, खंड (III) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(IV) नामनिर्देशिती, यदि कोई है, की पहचान का सबूत ।"।

4. उक्त नियम के नियम 56 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"56. यान के स्वामी की मृत्यु हो जाने पर स्वामित्व का अंतरण—(1) जहां मोटरयान के स्वामी की मृत्यु हो जाती है, वहां, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में यान के स्वामी द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति या यान का कब्जा लेने वाला उत्तरवर्ती व्यक्ति, मोटरयान के स्वामी की मृत्यु से तीन मास की अवधि के लिए यान का इस प्रकार प्रयोग कर सकेगा, मानो वह उसे अंतरित कर दिया गया हो :

परंतु ऐसे व्यक्ति ने, स्वामी की मृत्यु के तीस दिन के भीतर, स्वामी की मृत्यु की घटना के बारे में और यान का प्रयोग करने के स्वयं के आशय के बारे में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को सूचित कर दिया है ।

(2) यथास्थिति, नामनिर्देशिती या यान का कब्जा लेने वाला उत्तरवर्ती व्यक्ति, मोटरयान के स्वामी की मृत्यु से तीन मास की अवधि के भीतर प्ररूप 31 में अपने नाम में यान के स्वामित्व के अंतरण के लिए, निम्नलिखित के साथ, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन करेगा :--

(क) नियम 81 में यथाविनिर्दिष्ट समुचित फीस ;

(ख) रजिस्ट्रीकृत स्वामी के संबंध में मृत्यु प्रमाणपत्र ;

(ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ;

(घ) बीमा प्रमाणपत्र ;

(ङ) ई-रिक्शा और ई-गाड़ी के मामले में चालन अनुज्ञप्ति और परमिट ; और

(च) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित किए जाने वाले नामनिर्देशिती की पहचान का सबूत ।"।

(3) जहां नामनिर्देशिती अवयस्क है, वहां मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण तब किया जाएगा, जब,-

(I) किसी व्यक्ति को उसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उस व्यक्ति के नाम में ;

(II) ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, वहां अवयस्क की संपत्ति का किसी नैसर्गिक संरक्षक, वसीयती संरक्षक या सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक के नाम में ।

(4) मोटरयान के स्वामी की मृत्यु के समय, यदि कोई नामनिर्देशन प्रवर्तन में नहीं है और उसकी विल के प्रोबेट या उसकी संपदा के प्रशासन-पत्र या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के अधीन अनुदत्त उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, धारक की मृत्यु के तीन मास के भीतर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो रजिस्ट्रीकरण

प्राधिकारी, स्वामी के ऐसे किसी विधिक वारिस के नाम में, जो यान को उसके नाम रजिस्ट्रीकृत करवाने के लिए उसे हकदार प्रतीत हो, रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा ।"।

5. उक्त नियम के नियम 57 के उपनियम (1) में, खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(च) नामनिर्देशिती, यदि कोई है, की पहचान का सबूत ।"।

6. उक्त नियम के प्ररूप 20 में, क्रम संख्यांक 9 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"9क. नामनिर्देशिती का नाम

9ख. नामनिर्देशिती के साथ संबंध ।"।

7. उक्त नियम के प्ररूप 23क में, "मशीन पठनीय जोन" उपशीर्षक की सारणी के क्रम संख्यांक 2 में, "स्वामित्व प्रकार" प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"नामनिर्देशिती का नाम

नामनिर्देशिती के साथ संबंध ।"।

8. उक्त नियम के प्ररूप 24 की सारणी के स्तंभ 3 में, "वर्तमान पता" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"नामनिर्देशिती का नाम, नामनिर्देशिती के साथ संबंध ।"।

9. उक्त नियम के प्ररूप 30 के भाग 2 में, पहले पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"मैं/हम को इस यान के संबंध में नामनिर्देशिती के रूप में घोषित करते हैं, जो मेरा/हमारा लगता है ।"।

10. उक्त नियम के प्ररूप 31 में,-

(क) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"नामनिर्देशिती/यान का कब्जा लेने वाले उत्तरवर्ती व्यक्ति के नाम में स्वामित्व के अंतरण के लिए आवेदन

[नियम 56(3) देखें] ";

(ख) क्रम संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"3. नामनिर्देशिती/यान का कब्जा लेने वाले उत्तरवर्ती व्यक्ति का नाम और आयु, पुत्र/पत्नी/पुत्री ।";

(ग) क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"5. नामनिर्देशन/उत्तराधिकार का सबूत ।"।

IndiaCode

11. उक्त नियम के प्ररूप 32 में,-

(I) पहले पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"मैं/हम को इस यान के संबंध में नामनिर्देशिती के रूप में घोषित करते हैं, जो मेरा/हमारा लगता है ।";

(II) "[आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा चिन्ह]" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"टिप्पण : यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी की मृत्यु के पश्चात्, यान का स्वामित्व नामनिर्देशिती को अंतरित हो जाएगा ।"।

[फा.सं. आरटी-11036/126/2020-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (I) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अधिसूचना संख्यांक 240(अ), तारीख 31. 03. 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2021

G.S.R. 277(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 739 (E), dated the 26th November, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Official Gazette in which the said notification was published, were made available to the public on the 26th November, 2020;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. Short Title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Seventh Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules) in rule 47, in sub-rule (1), after clause (l), the following clause shall be inserted, namely: -

" (m) proof of identity of nominee, in case nominee is mentioned.";

3. In the said rules, in rule 55, in sub-rule (2), after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely: -

" (iv) proof of identity of nominee, if any.".

4. In the said rules, for rule 56, the following rule shall be substituted, namely: -

"56. Transfer of ownership on death of owner of the vehicle. – (1) Where the owner of a motor vehicle dies, the person nominated by the vehicle owner in the certificate of registration or the person succeeding to the possession of the vehicle, as the case may be, may for a period of three months from the death of the owner of the motor vehicle, use the vehicle as if it has been transferred to him:

Provided that such person has, within thirty days of the death of the owner, informed the registering authority of the occurrence of the death of the owner and of his own intention to use the vehicle.

(2) The nominee or person succeeding to the possession of the vehicle, as the case may be, shall apply in Form 31 within the period of three months from the death of the owner of the motor vehicle, to the registering authority for the transfer of ownership of the vehicle in his name, accompanied by—

(a) the appropriate fee as specified in rule 81;

(b) the death certificate in relation to the registered owner;

(c) the certificate of registration;

(d) the certificate of insurance;

(e) driving license and permit in case of E-rickshaw and E-cart; and

(f) proof of identity of the nominee to be mentioned in the certificate of registration.

(3) Where the nominee is a minor, the registration of the motor vehicle be made in case -

(i) where a person has been authorised to receive it, in name of that person;

(ii) where there is no such person, in name of any natural guardian, testamentary guardian or guardian of the property of the minor appointed by a competent court.

(4) At the time of death of the owner of a motor vehicle, if there is no nomination in force , and probate of his will or letters of administration of his estate or a succession certificate granted under the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) is not, produced to the specified authority within three months of the death of the holder, then the registering authority may register the vehicle in the name of any legal heir of the owner appearing to it to be entitled to get the vehicle registered in his name.

5. In the said rules, in rule 57, in sub-rule (1), after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: -

"(f) proof of identity of nominee, if any.".

6. In the said rules, in FORM 20, after serial number 9, the following serials and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

"9A. Name of the Nominee……

9B. Relationship with the Nominee…….".

7. In the said rules, in FORM 23A, in the sub heading "Machine Readable Zone", in the table, in serial number 2, after the entry "ownership type", the following entries shall be inserted, namely: -

"

Nominee Name

Relationship with the nominee"

".

8. In the said rules, in FORM 24, in the table, in column 3, after the words "present address", the following words shall be inserted, namely: -

"Nominee name, relationship with the nominee".

9. In the said rules, in FORM 30, in Part II, after first paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"I/We hereby declare …….. as the nominee for this vehicle who is my/our ……..".

10. In the said rules, in FORM 31,

(a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely: -

"APPLICATION FOR TRANSFER OF OWNERSHIP IN THE NAME OF PERSON NOMINATED/ SUCCEEDING TO THE POSSESSION OF VEHICLE

[see rule 56(3)]";

(b) for serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely: -

"3. Name and age of the nominee/ person succeeding to the possession of the vehicle son/wife/daughter of ……";

(c) for serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, namely: -

"5. Proof of his nomination/succession….".

11. In the said rules, in FORM 32, -

(i) after first paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"I/We hereby declare …….. as the nominee for this vehicle who is my/our …….";

(ii) after the words, signature or thumb-impression of the applicant, the following note shall be inserted, namely: -

"Note : After the death of the registered owner of the vehicle, the ownership of the vehicle shall be transferred to the nominee.".

[F.No. RT-11036/126/2020-MVL]
AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 240(E) dated the 31.03.2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.04.16 21:57:39 +05'30'